

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 306 / 2011
संस्थान दिनांक 21.06.2011

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

मोहम्मद शफी पिता अब्दुल रशीद, आयु 55 वर्ष
निवासी-आजाद नगर, अंजड़,
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 16.02.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 168 / 2011 अंतर्गत 279, 337, 338 भा.द.सं. एवं धारा 146 / 196 मोटरयान अधिनियम में दिनांक 21.06.2011 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 29.03.2011 को समय रात्रि लगभग 9:30 बजे, सपना होटल के पास, आम रोड़ पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 0339 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न करने के संबंध में धारा 279 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 20.01.2015 को फरियादी रमेश व मोहम्मद शफी के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को धारा 338 भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादी रमेश के संबंध में अभियुक्त मोहम्मद शफी के विरुद्ध धारा 279 भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 23.11.2011 फरियादी रमेश ने अपनी ट्रक अंजड़ मण्डी में खड़ी कर सपना होटल पर खाना खाने गया था तथा खाना खाकर वापस मण्डी आ रहा था कि रास्ते में अंजड़ की ओर से एक ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के. ए. 0339 का चालक अपने ट्रक को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया तथा उसका साफ्ट

टूट गया जो उछलकर रमेश के दाहिने पैर की जांघ में लगा जिससे उसे चोट आई। आहत का पहले बड़वानी चिकित्सालय तथा बाद में इन्दौर चिकित्सालय में चिकित्सा हुई। पुलिस ने फरियादिया रमेश की प्री.एम.एल.सी. की जाँच तथा रमेश के कथनों के आधार पर ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 0339 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 168/2011 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग—पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण नहीं किया गया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.03.2011 को समय रात्रि लगभग 9:30 बजे, सपना होटल के पास, आम रोड़ पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 0339 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी रमेश (अ.सा.1) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार **उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में**

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी रामेश अ.सा.1 ने अपने कथन में बताया कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। घटना लगभग 3—4 वर्ष की है। घटना वाले दिन वह मण्डी परिसर से बाहर निकल रहा था तभी एक ट्रक जिसका क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 0339 अंजड़ से बड़वानी जा रहा था, तथा उसका साफ्ट अचानक टूट गया था तथा उसका लोहे की राड़ का टूटा हुआ हिस्सा उछलकर उसके दाहिने पैर व घुटने पर लगा, जिससे उसका अस्थि भंग हुआ। उसका ईलाज बड़वानी तथा इन्दौर अस्पताल में हुआ था।

उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने उक्त वाहन का नम्बर पुलिस को एम.पी. 09 के.ए. 0339 बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उपस्थित अभियुक्त घटना वाले दिन उक्त ट्रक को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चला रहा था, इस कारण लोहे की राड़ टूट गई थी, यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 1 का कथन देने से भी इंकार किया है। उक्त साक्षी ने अभियुक्त से राजीनामा करना स्वीकार किया लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह अभियुक्त को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

8. राजीनामा हो जाने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा किया है तथा उसके विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है तथा अन्य किसी साक्षियों के कथन नहीं कराये गये हैं, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा अभियुक्त के विरुद्ध इस अपराध या अन्य किसी अपराध में उसे दोषिसिद्ध नहीं किया जा सकता है तथा अभियुक्त के विरुद्ध अन्य कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

9. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त मोहम्मद शफी के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त मोहम्मद शफी को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.ए. 0339 दिनांक 06.06.2014 को उसके पंजीकृत स्वामी अकरम खान पिता आबिद हुसैन, निवासी-आजाद पथ, अंजड़, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगी पर दिया गया है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

